रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276464
CG-DL-E-24092026-276464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948
No. 742]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर 2026

सा.का.नि. 810(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सलाहकार काडर, भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध औद्योगिक सलाहकार काडर के उप औद्योगिक सलाहकार, सहायक औद्योगिक सलाहकार और तकनीकी अधिकारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक सलाहकार काडर में उप औद्योगिक सलाहकार, सहायक औद्योगिक सलाहकार और तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उप औद्योगिक सलाहकार, सहायक औद्योगिक सलाहकार और तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक सलाहकार काडर) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना।— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर।— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि।— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता।— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति।— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति।— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

[फा. सं. A-32022/1/2023-Adminstration]

प्रीत पाल सिंह, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.उप औद्योगिक सलाहकार (औद्योगिक सलाह) ।	2*(2026). *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर-11 (रु.67,700-2,08,700)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), और (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे जो वेतन स्तर-10 (रु. 56100-177500) श्रेणी में है और जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है , सहायक औद्योगिक सलाहकार और मंत्रालय या विभाग द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **<u>टिप्पण</u>:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): -** केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: - (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर -10 (रु.56100-177500) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या कृषि इंजीनियरी या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि, जिसमें खाद्य या फल प्रौद्योगिकी विषयों में से एक हो; या	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे :** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय – अध्यक्ष; (2) निदेशक (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय –सदस्य; और (3) संयुक्त औद्योगिक सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या कृषि में स्नातक की उपाधि के साथ खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.सहायक औद्योगिक सलाहकार (औद्योगिक सलाह) |	3*(2026). *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क ', राजपत्रित, अननुसचिवीय |	स्तर-10 (रु.56,100-1,77,500)	चयन पद |	लागू नहीं होता |

(7)	(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता |	लागू नहीं होता |	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | **टिप्पण:-** परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) 67% प्रोन्नत द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); और (ii)33% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में तकनीकी अधिकारी है और जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और मंत्रालय या विभाग द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **<u>टिप्पण</u>:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी : - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (रु.53100-167800) उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु.47600-151100) उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष, (2) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय – सदस्य; और (3) संयुक्त औद्योगिक सलाहकार (औद्योगिक सलाह काडर) या निदेशक या उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय -सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) अपर सचिव या संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय – अध्यक्ष, (2) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय- सदस्य ; और (3) संयुक्त औद्योगिक सलाहकार या निदेशक या उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय – सदस्य।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो ; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य या फल प्रौद्योगिकी एक विषय के रूप में होने के साथ खाद्य प्रौद्योगिकी या कृषि इंजीनियरी या रासायनिक इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या कृषि में स्नातक की उपाधि के साथ खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है) केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक सलाह) |	4*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय |	स्तर-07 (रु.44,900-1,42,400)	लागू नहीं होता |	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथल की जा सकती है)। **टिप्पण.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए |

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या कृषि इंजीनियरी या रासायनिक इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि, जिसमें खाद्य या फल प्रौद्योगिकी विषयों में से एक हो; या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या कृषि में स्नातक की उपाधि के साथ खाद्य प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। अनुभव: उपर्युक्त वर्णित विषय में दो वर्ष का अनुभव, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग में, या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्राप्त किया गया हो या संबंधित क्षेत्र के किसी औद्योगिक उपक्रम या इकाई में ज्येष्ठ प्रबंधकीय पद धारण किया हो। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता |	दो वर्ष | **टिप्पण.-** परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा ।	सीधे भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रुपये 35400 - 112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता |	**समूह 'ख ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) अपर सचिव या संयुक्त सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - अध्यक्ष (2) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय – सदस्य ; और (3) संयुक्त औद्योगिक सलाहकार या उप सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य |	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September 2026

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Food Processing Industries Industrial Advice Cadre, Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the posts of Deputy Industrial Adviser, Assistant Industrial Adviser and Technical Officer of Industrial Advice Cadre, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Industrial Adviser, Assistant Industrial Adviser and Technical Officer in the Industrial Advice Cadre, Ministry of Food Processing Industries, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Food Processing Industries Deputy Industrial Adviser, Assistant Industrial Adviser and Technical Officer (Industrial Advice Cadre) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in Pay Matrix.- The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F. No. A-32022/1/2023-Adminstration]

PREET PAL SINGH, Jt. Secy. (Admin)

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Deputy Industrial Adviser (Industrial Advice).	2*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 50% by promotion, failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 50% by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee, exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Assistant Industrial Adviser with five years' regular service in level-10 (Rs. 56100-177500) in the grade and having successfully completed two to four weeks mandatory training as prescribed by the Ministry or Department. **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract): -** Officers under the Central or State Governments or Union territories Administrations or universities or recognised research institutions or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations: - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in level-10 (Rs.56100-177500) in the parent cadre or department; and possessing the educational qualifications and experience as under: Degree in Food Technology or Agricultural Engineering or Chemical Engineering with Food or Fruit Technology as one of the subject from a recognized university or institute; or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (1) Joint Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries —Chairperson; (2) Director (Administration), Ministry of Food Processing Industries —Member; and (3) Joint Industrial Adviser, Ministry of Food Processing Industries —Member.	Not applicable.

Master's degree in Chemistry or Bachelor's degree in Agriculture with diploma in Food Technology from a recognized university or institute. **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** The period of deputation (including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment) in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. Assistant Industrial Adviser (Industrial Advice).	3*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection post.	Not applicable.

(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees. **Note:-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation period.	(i) 67% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); and (ii)33% by deputation (including short-term contract).

(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Technical Officers with five years' regular service in Level-7 (Rs. 44900-142400) in the grade and having successfully completed two to four weeks' mandatory training as prescribed by the Ministry or Department. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; (2) Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries – Member; and (3) Joint Industrial Adviser (Industrial Advice Cadre) or Director or Deputy Secretary, Ministry of Food Processing Industries -Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for**	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for promotion.

statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions: - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 (Rs. 53100-167800) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; or (iii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs. 47600-151100) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; or (iv) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications: Bachelor's Degree in Food Technology or Agricultural Engineering or Chemical Engineering with Food or Fruit Technology as one of the subjects from a recognised university or institute; or Master's degree in Chemistry or Bachelor's degree in Agriculture with diploma in Food Technology from a recognised university or institute. **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** The period of deputation (including the period of deputation in another *ex-c*adre post held immediately preceding this appointment) in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	**considering confirmation) consisting of :-** (1) Additional Secretary or Joint Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries – Chairperson; (2) Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries – Member; and (3) Joint Industrial Adviser or Director or Deputy Secretary, Ministry of Food Processing Industries - Member.	

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
3. Technical Officer (Industrial Advice).	4*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: Bachelor's degree in Food Technology or Agricultural Engineering or Chemical Engineering with Food or Fruit Technology as one of the subjects from a recognised university or institute; or	Not applicable.	Two years. **Note:-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks' duration for	By direct recruitment. **Note:-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other

Master's degree in Chemistry or Bachelor's degree in Agriculture with Diploma in Food Technology from a recognised university or institute. **Experience:** Possessing two years' experience in the above-mentioned discipline in a department of the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or holding a senior management position in an industrial undertaking or unit in the related field. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		successful completion of the probation, as prescribed by the Central Government.	circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government (a) holding analogous posts on regular basis or with five years' regular service in posts in level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Additional Secretary or Joint Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries - Chairperson; (2) Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Food Processing Industries – Member; and (3) Joint Industrial Adviser or Deputy Secretary, Ministry of Food Processing Industries - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.24 16:56:44 +05'30'